

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 126] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 31, 1973/चैत्र 10, 1895

No. 126] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 31, 1973/CHAITRA 10, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में ग्राह्य जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March 1973

S. O. 193(F).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 52 of the Employees/Provident Funds Scheme and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 505E dated the 25th July, 1972, the Central Government hereby directs that accumulations out of the provident fund contributions, interest and other receipts as reduced by obligatory outgoings, shall be invested in accordance with the following pattern, namely :—

- | | |
|---|------|
| (i) Central Government securities. | 45 % |
| (ii) State Government securities and State or Central Government guaranteed securities. | 25 % |
| (iii) Post Office Time Deposits and Small Savings. | 30 % |

The above pattern will be in force for the period from 1st April, 1973 to 30th September, 1973.

2. All re-investment of provident fund accumulations (whether invested in securities created and issued by the Central Government or in savings certificates issued by the Central Government or in securities created and issued by a State Government) shall also be made according to the pattern mentioned in paragraph 1 above.

[No. G. 27035(24)/73-PF.I/II]

DALJIT SINGH, Under Secy.

श्रम और पुनर्वासि मंत्रालय**(श्रम और रोजगार विभाग)****अधिसूचना**

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1973

का० आ० 193(अ).—कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम के पैरा 52 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम और पुनर्वासि मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 505 इ, दिनांक 25 जुलाई, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि भविष्य निधि अभिदायों के संचयनों, व्याज और प्रत्य प्राप्तियों, को बाध्यकर निर्गमों को कम कर के, निम्न-लिखित नमूने के अनुसार विनिहित किया जाएगा, अर्थात् :—

- (i) केन्द्रीय सरकार प्रतिभूतियों में 45 प्रतिशत
- (ii) राज्य सरकार प्रतिभूतियों में और राज्य या केन्द्रीय 25 प्रतिशत सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों में,
- (iii) ढाकघरों में आवधिक जमाओं और लघु वचनों में 30 प्रतिशत

उपर्युक्त नमूना प्रथम अप्रैल, 1973 से 30 सितम्बर, 1973 तक की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा ।

2. भविष्य निधि संचयनों के सभी पुनर्विनिधान (चाहे केन्द्रीय सरकार द्वारा सृष्ट और जारी की गई प्रतिभूतियों में विनिहित किए जाएं या केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए बचत प्रमाण-पत्रों में या किसी राज्य सरकार द्वारा सृष्ट और जारी की गई प्रतिभूतियों) भी ऊपर पैरा-1, में उपवर्णित नमूने के अनुसार किए जाएंगे ।

[संख्या जी-27035(24)/73-बी एफ-I/(II)]

दलजीत सिंह, अवसर सचिव ।